अनुचित विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिये दिशा-निर्देश

प्रिलिम्स के लिये:

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, उपभोक्ता संरक्षण के लिये पहल।

मेन्स के लिये:

अनुचित विज्ञापनों पर अंकुश लगाने हेतु नए दिशा-निर्देश और इसका महत्त्व, सीसीपीए।

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने हाल ही में झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण:

- **परिचय:**
  - CCPA उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के आधार पर वर्ष **2020 में स्थापित नियामक संस्था है।**
  - CCPA **उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय** के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
- **उद्देश्य:**
  - एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना।
  - उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करना और शिकायत/अभियोजन करना।
  - असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापसी, अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने का आदेश देना।
  - भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं/प्रदर्शकों/प्रकाशकों पर दंड लगाना।

दिशा-निर्देश:

- **गैर-भ्रामक और वैध विज्ञापन:**
  - विज्ञापन को गैर-भ्रामक माना जा सकता है यदि इसमें **वस्तु का सही और ईमानदार प्रतिनिधित्व होता है तथा सटीकता, वैज्ञानिक वैधता या व्यावहारिक उपयोगिता या क्षमता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं रता है।**
  - अनजाने में हुई चूक के मामले में विज्ञापन को तब भी वैध माना जा सकता है यदि विज्ञापनदाता ने उपभोक्ता को कमी बताने में त्वरित कार्रवाई की हो।
- **सरोगेट विज्ञापन:**
  - सरोगेट विज्ञापन" का तात्पर्य **अन्य वस्तुओं की आड़ में वस्तु के विज्ञापन से है।**
    - **जैसे पान मसाले की आड़ में तंबाकू का विज्ञापन।**
  - उन वस्तुओं या सेवाओं के लिये कोई सरोगेट विज्ञापन (Surrogate Advertisement) या अप्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं बनाया जाएगा, जो विज्ञापन कानून द्वारा अन्यथा निषिद्ध या प्रतिबंधित हैं।
  - इस तरह के निषेध या प्रतिबंध को दरकिनार करने और इसे अन्य वस्तुओं या सेवाओं के विज्ञापन के रूप में चित्रित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- **बच्चों को लक्षित करने वाले विज्ञापन:**
  - ऐसे विज्ञापन जो बच्चों के लिये खतरनाक हो सकते हैं या बच्चों की अनुभवहीनता, विश्वसनीयता या विश्वास की भावना आदि का लाभ उठा सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने, उनके व्यवहार को प्रेरित करने या अनुचित रूप से अनुकरण करने वाले विज्ञापनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
  - यह स्पष्ट है कि विज्ञापन बच्चों की खरीदारी के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और उन्हें अस्वास्थ्यकर वस्तुओं का उपभोग करने के लिये

प्रोत्साहति करते हैं या स्वस्थ वस्तुओं के प्रतनिकारात्मक भावनाओं को वकिसति करते हैं।

- **वज्ञिापनों में अस्वीकरण:**
    - दशिा-नरि्देशों में ऐसे वज्ञिापन में कयि गए दावे को स्पष्ट करने, योग्य बनाने या अस्पष्टताओं का समाधान करने के लयि**वज्ञिापनों में अस्वीकरण**" की आवश्यकता को भी पेश कयिा गया है ताकि इस तरह के दावे को और वसि्तार से समझाया जा सके।
    - इसके अलावा वज्ञिापनदाता को "ऐसे वज्ञिापन में कयि गए कसिी भी दावे के संबंध में भौतकि जानकारी को छपिाने का प्रयास नहीं करना चाहयि, जसिके चूक या अनुपस्थतिसि वज्ञिापन को भ्रामक बनाने या इसके व्यावसायकि इरादे को छपिाने की संभावना है"।
- **कर्तव्य:**
    - दशिानरि्देशों के अनुसार नरि्माताओं, सेवा प्रदाताओं और वज्ञिापन एजेंसयिों को ऐसे दावे नहीं करने या वज्ञिापनों में तुलना करने की भी आवश्यकता नहीं है जो वस्तुनषि्ठ रूप से पता लगाने योग्य तथ्यों पर आधारति नहीं हैं।
    - इसके अतरिक्ति वज्ञिापन को उपभोक्ताओं का वशि्वास हासलि करने के लयि तैयार कयिा जाना चाहयि, न कि "उपभोक्ताओं के वशि्वास का दुरुपयोग करने या उनके अनुभव या ज्ञान की कमी का फायदा उठाने" के लयि।

दशिा-नरि्देशों का महत्त्व:

- दशिा-नरि्देश पथ प्रदर्शक होते हैं क्योंकि वे वज्ञिापनदाता के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से रेखांकति करते हुए महत्त्वपूर्ण उपभोक्ता संरक्षण अंतराल को भरते हैं।
- दशिा-नरि्देश बच्चों के उद्देश्य से अतार्ककि उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने को हतोत्साहति करने का भी प्रयास करते हैं।
- भ्रामक, प्रलोभन, सरोगेट और बच्चों को लक्षति वज्ञिापन की समस्या बहुत लंबे समय से बनिा कसिी वरिाम के चली आ रही है।
- दशिा-नरि्देश भारतीय नयिामक ढाँचे को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और मानकों के बराबर लाने का आवश्यक कार्य करते हैं।
- भ्रामक वज्ञिापनदाताओं के खलिाफ ग्राहकों को सशक्त बनाने के लयि दशिा-नरि्देश महत्त्वपूर्ण हैं।
- दशिा-नरि्देश एक भ्रामक या अमान्य वज्ञिापन को परभिाषति करने के बजाय "गैर-भ्रामक और वैध" वज्ञिापन को परभिाषति करने की शर्तों का उल्लेख करते हैं।
- मौजूदा वज्ञिापन वनियिमों को लागू करने में आने वाली चुनौतयिों को भी दशिा-नरि्देशों के माध्यम से दंडनीय बनाया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण हेतु पहल:

- [उपभोक्ता कल्याण कोष]
- [केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परषिद]
- [उपभोक्ता संरक्षण नयिम, 2021]
- [उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नयिम, 2020]
- [राष्ट्रीय उपभोक्ता दविस]

स्रोत: द हदिू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/guidelines-to-curb-unfair-advertisements